फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शिवलाल **विपक्षी : श्रीमती वालकी**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 104/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थी की माता हैं। प्रार्थी द्वारा अपनी पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। पैतृक भूमि होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 को पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं। यदि विपक्षी सं. 1 को रोका नहीं जाता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेंगे एवं प्रार्थी को भारी क्षति होने की सम्भावना हैं। अतः प्रकरण के अवलोकन से विपक्षी सं. 1 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित हैं ताकि प्रकरण में निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके जिससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मरतडी पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 778/152 किता 1 रकबा 1.3193 हेक्टेयर एवं मौजा बडियार पटवार हल्का बडियार की आराजी नम्बर 1918/1360 किता 1 रकबा 0.8660 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी सं. 1 मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:58:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली